

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर  
(राज०)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं० :- 205/2006

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. दुर्गा प्रसाद पुत्र उमराव जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर जिला अलवर ।  
..... प्रतिवादी / अपीलार्थी
- बनाम
1. मुकेश कुमार पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर, जिला अलवर ।
2. खगेन्द्रसिंह उर्फ सोनू पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राह्मण निवासी मुण्डावर जिला अलवर  
राज० ।  
..... वादीगण / प्रत्यार्थीगण
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर ।
4. शाखा प्रबन्धक दी सैण्डल कोपरेटिव बैंक लि० अलवर राज० ।  
..... प्रति० / रेस्पो०

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक रेस्पो० सं० 1 व 2
3. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक रेस्पो० सं० 3

∴ निर्णय ∴

दिनांक :- 11.07.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2006 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।  
सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तकासमा आराजी व हुक्म ईम्तनाई दवामी दफा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख० नं० 1483 रकबा 1.21 है०, 1484 रकबा 1.34 है०, 1485 रकबा 1.19 है०, 1486 रकबा 0.62 है०, 1487 रकबा 0.33 है०, 1488 रकबा 0.43 है०, 1508 रकबा 0.32 है०, 1510 रकबा 0.10 है०, 1511 रकबा 0.05 है०, 1512 रकबा 0.42 है०, 1509 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम गांधी नगर तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी के वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 सह खातेदार काश्तकार है । वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

व प्रतिवादी सं० 1 को यह भूमि पैतृक दादालाई सम्पत्ति होने के कारण पक्षकारों को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण का 1/2 भाग व प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 भाग खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी है । इस भूमि का हम पक्षकारान ने अपनी-अपनी सहूलियत के अनुसार मौके पर बांहमी बंटवारा काफी समय पूर्व कर लिया और उसी बाहमी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिस बाहमी बंटवारा में ख० नं० 1483, 1486, 1488, 1512 सालिम व 1484 रकबा 1.34 है० में से 1 बीघा 5 बिस्वा तरफ उत्तर तथा ख० नं० 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग वादीगण के हिस्से व कब्जे में आया और मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, शेष आराजी प्रतिवादी सं० 1 के कब्जे काश्त में हैं जिस पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । विवादित आराजी में पक्षकारान का बुजुर्ग उमरावसिंह फौत होने के बाद उक्त आराजी मृतक उमरावसिंह की बेवा पत्नी मु० पतासी उर्फ पार्वती के नाम विरासत दर्ज हो गई और पक्षकार शामलात में ही रहते थे । शामलात में ही काश्त करते थे तो आराजी ख० नं० 1509 को छोड़कर शेष आराजी पर प्रतिवादी सं० 3 में मु० पतासी उर्फ पार्वती बेवा उमरावसिंह ने कृषि कार्य हेतु ऋण लिया था और विवादित आराजी को प्रतिवादी सं० 3 के यहां बिला कब्जा बंधक रख दिया था । उस समय वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 का संयुक्त परिवार था तथा संयुक्त परिवार विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करता था । इसलिए उस समय लिया गया ऋण संयुक्त परिवार के सदस्यों के समभाग में देना था लेकिन इस ऋण को हम वादीगण द्वारा कुछ किस्त भरी हैं । प्रतिवादी सं० 1 अलग होने के कारण से उक्त ऋण की अदायगी नहीं कर रहा है तथा बाहमी बंटवारा के समय ख० नं० 1508 के पश्चिम दिशा में आने जाने का रास्ता रखना तय किया था तथा इस रास्ते में भी प्रतिवादी सं० 1 को आने जाने में रूकावट करता है तथा काश्त करने में मजाहमत पैदा करता है जिसके कारण शामलात में काश्त करना सम्भव नहीं है । इसलिए विवादित आराजी के अलग-अलग खातेदार कायम करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्प० को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादीगण का वाद दि० 15.9.2006 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि० 15.9.2006 से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्प० को जर्ये सम्मन तलब किया जाऊँर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विवाधक कायम कर दोनों पक्षों की साक्ष्य अभिलिखित नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री भी पारित नहीं की है और न ही किसी प्रकार की डिक्री पारित किये जाने से पूर्व विवादित आराजी के संबंध में तकासमा किये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट प्राप्त की है तथा मौके की स्थिति का सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के बिना मनमाने तौर पर आराजी का विभाजन कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी ख० नं० 1484 में से 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी तरफ उत्तर को तथा ख० नं० 1509, 1510, 1511 में से 1/2 भाग

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
रजिस्टर अपील अधिकारी, अलावर

का खातेदार काश्तकार एवं हाल काश्तकार होना गलत एवं मनमाने तरीके से विशिचत किया है तथा इसी प्रकार आराजी ख० नं० 1512 में से 4 फुट भूमि रास्ता के लिए छोड़ने का गलत आदेश पारित किया है क्योंकि अपीलार्थी उक्त रास्तों में से होकर अपने खेतों पर नहीं जा सकता है । साथ ही पूर्व में ही बाहमी तौर पर आराजी का बंटवारा हो चुका है जिसमें आराजी ख० नं० 1508 प्रतिवादी/अपीलार्थी के हिस्से में आयी तथा वादीगण/प्रत्यर्थीगण को केवल मात्र डोल से आने जाने का हक दिया गया था । वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सन् 1987 में मौखिक रूप से बंटवारा हुआ था । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय को विवाधक विरचित कर दोनों पक्षों की साक्ष्य अभिलिखित कर प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के निर्देश प्रदान किये जावें तथा उसके बाद तहसीलदार मुण्डावर द्वारा मौके पर जमीन की पैमाईश कर एवं कुरे एवं पत्थरगद्दी करके रिपोर्ट तलब करने का निवेदन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्प० सं० 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी उनकी शामलात कब्जे काश्त की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट का 1/2 भाग व रेस्प० सं० 1 का 1/2 भाग खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । तहत न्यायालय ने तकासमें के अनुसार खाते सही अलग-अलग किये हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।


हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2059-62 अनुसार विवादित आराजी के वादीगण व असल प्रतिवादी सं० 1, 1/2-1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं तथा ख० नं० 1509 गै०मु० आबादी वो ग्राम गांधी नगर मुण्डावर के भी पक्षकार इसी प्रकार सह खातेदार काश्तकार काबिज आराजी दर्ज रेकार्ड हैं । वादीगण ने अपने वाद में बाहमी बंटवारा होना दर्ज किया है जिसे असल प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया है । वादीगण के वाद में विवादित आराजी पर कृषि कार्य हेतु लिये गये ऋण को बराबर हिस्से में भरने का कथन करना जाहिर किया है तथा ख० नं० 1508 में से वादीगण को आने-जाने के रास्ते का कथन किया है जबकि इन दोनों कथनों को प्रतिवादी सं० 1 ने अपने जवाब में अस्वीकार करते हुए बाहमी बंटवारा में ख० नं० 1508 में रास्ता होना अस्वीकार किया है । विवादित आराजी जिस पर पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर मौके पर काश्त कर रहे हैं । उक्त कथनों की पुष्टि प्रतिवादी सं० 1/रेस्प० सं० 1 ने अपने जवाब में भी की है । प्रकरण में पूर्व में जब आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा हो चुका है और बंटवारा अनुसार ही काबिज काश्त है तो इस स्तर पर अब पुनः जमीन की पैमाईश कर एवं कुरे व पत्थरगद्दी करके रिपोर्ट तलब करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है । इसलिए मुताबिक आपसी सहमति से अधीनस्थ न्यायालय ने जो वादीगण का वाद अंतिम डिक्री किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बलनवान दुर्गा प्रसाद बनाम मुकेश कुमार  
अपील सं० 205/2006

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के निर्णय व डिकी दिनांक 15.09.2006 यथावत रखी जाती है । खर्चा अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अलवर